चुनाव खर्च प्रथम आम चुनाव की तुलना में 2009 में प्रति निर्वाचक बीस गुणा अधिक

सामान्यतः प्रत्येक पांच वर्ष बाद लोकसभा के लिये प्रतिनिधियों को चुनने के लिये आम चुनाव कराये जाते हैं. हर चुनाव के लिये संसाधनों और उपायों की, चाहे ये योजना, श्रम अथवा प्रौद्योगिकी से संबंधित हो, बड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है और इसके लिये धन भी चाहिए. 1951-52 में प्रथम लोकसभा चुनावों से लेकर 2009 में पन्द्रहवीं लोकसभा तक, लोकतंत्र की यह एक लंबी यात्रा है. प्रथम आम चुनावों से लेकर पन्द्रहवें आम चुनावों तक निर्वाचकों पर सरकारी व्यय कई गुणा, या संक्षेप में कहा जाये तो बीस गुणा तक बढ़ गया है. प्रथम चुनावों में सरकार ने एक निर्वाचक पर रु. 0.60 खर्च किये जबकि 2009 के आम चुनावों में यह व्यय रु. 12 हो गया. पूर्ण रूप में व्यय 1951-52 में रु. 10.45 करोड़ था, जबकि 2009 के आम चुनावों के लिए सरकारी खर्च की राशि रु. 846.67 करोड़ थी.

लागत वार, 2004 के आम चुनाव का सरकारी राजस्व पर सबसे भारी बोझ रहा और इन चुनावों में करीब रु. 1114 करोड़ खर्च किये गये. इस चुनाव में प्रति निर्वाचक लागत भी सर्वाधिक थी. सरकार ने एक निर्वाचक पर रु. 18/- खर्च किये. महत्वपूर्ण रूप से 1999 के आम चुनाव के मुकाबले चुनाव लागत में 17.53 % की वृद्धि हुई थी और यह भी ऐसे में जब मतदान केंद्रों की संख्या में 11.26 % की गिरावट थी.

प्रथम आम चुनावों में प्रति निर्वाचक लागत एक रुपए से कम थी, परंतु आने वाले चुनावों में चुनाव व्यय में त्वरित वृद्धि देखने को मिली. मुद्रास्फीति को ध्यान में रखते हुए रुपए के अवमूल्यन के मद्देनज़र लागत में वृद्धि का लोकतांत्रिक गतिविधियों के बढ़ते स्तर पर प्रभाव हो सकता है. कई राजनीतिक दलों की शुरुआत हुई है, अधिक स्वतंत्र उम्मीदवार भाग ले रहे हैं. 2014 के आम चुनावों में विभिन्न मतदाता-अनुकूल कदमों, जैसे कि मतदाता जागरूकता अभियान, चुनाव तिथि से पूर्व मतदाता पर्ची का वितरण, मतदाता सत्यापित पेपर ऑडिट ट्रायल (वीवीपीएटी) के प्रयोग से व्यय में बढ़ोतरी हो सकती है लेकिन इन प्रयासों का फ़ोकस लोकतंत्र के ढांचे और मूल्यों के सुदृढ़ीकरण पर केंद्रित हैं.

ज्ञातव्य है कि लोकसभा के चुनावों के वास्तविक संचालन पर संपूर्ण व्यय सरकार वहन करती है. लेकिन कानून और व्यवस्था बनाये रखने के लिये होने वाला व्यय संबंधित राज्य सरकारें करती हैं.

सभी पन्द्रह लोकसभा चुनावों के लिये केंद्रीय सरकार द्वारा किया गया चुनाव व्यय निम्नानुसार हैः-

वर्ष	**व्यय (रु. करोड़ में)**	**निर्वाचकों की सं.**	**प्रति निर्वाचक व्यय (रु. में)**	**मतदान केंद्र**
1952	10.45	17,32,12,343	0.6	1,96,084
1957	5.9	19,36,52,179	0.3	2,20,478
1962	7.32	21,63,61,569	0.3	2,38,031
1967	10.8	25,02,07,401	0.4	2,43,693
1971	11.61	27,41,89,132	0.4	3,42,918
1977	23.04	32,11,74,327	0.7	3,73,910
1980	54.77	35,62,05,329	1.5	4,36,813
1984.85 $	81.51	40,03,75,333	2	5,06,058
1989	154.22	49,89,06,129	3.1	5,80,798
1991.92 #	359.1	5,11,533,598	7	5,91,020 *
1996	597.34	59,25,72,288	10	7,67,462
1998	666.22	60,58,80,192	11	7,73,494
1999	947.68	61,95,36,847	15	7,74,651
2004	1113.88	67,14,87,930	17	6,87,402
2009	846.67	71,69,85,101	12	8,30,866

* 1991-92 में जम्मू एवं कश्मीर के अलावा
1989 से 2009 तक आम चुनाव पर व्यय के आंकड़े अनंतिम हैं.

$ 1985 में असम और पंजाब राज्यों के लिये चुनाव अलग से कराये गये थे.

\# 1992 में पंजाब राज्य के लिए चुनाव अलग से कराये गये थे.

(**स्रोतः** विधि और सामाजिक न्याय मंत्रालय एवं भारत के निर्वाचन आयोग की वेबसाइट)